

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021-वैशाख-3, शके 1943

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं शासकीय दस्तावेजों जैसे 10वीं अंकसूची, वेतन पर्ची में नाम नवीन थापा पुत्र मोती लाल थापा अंकित है तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में नवीन राणा मगर अंकित है मैंने अपना उपनाम थापा से बदलकर राणा मगर रख लिया है. भविष्य में मुझे नवीन राणा मगर के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा लिखा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( नवीन थापा )

नया नाम :

( नवीन राणा मगर )

पुत्र-श्री मोती लाल थापा,

निवासी-रामपुरी कॉलोनी, शब्द प्रताप आश्रम,

ग्वालियर ( म.प्र. ).

(814-बी.)

#### विविध

#### न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इन्दौर

जूनी, इन्दौर दिनांक 15 मार्च, 2021

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./ /री.-1/2021.—सारको फाउण्डेशन, पता-7, मंगल नगर, ए. बी. रोड, इन्दौर, म. प्र. की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-04 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति

दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	सारको फाउण्डेशन, पता-7, मंगल नगर, ए. बी. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	11,000/-.

आज दिनांक 15 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(229)

अंशुल खरे,  
रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वारासिवनी, जिला बालाघाट  
फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

रा. प्र. क्र./0001/ब-113/2020-21.

आवेदक अध्यक्ष, श्री सुरेश कुमार लिल्लहारे पिता गुलाब सिंह लिल्लहारे, निवासी सावरी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश द्वारा "बाबा सनतकुमार दास उदासीन, सावरी" को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. जिसकी सुनवाई दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को इस न्यायालय में समय दोपहर 12.00 बजे की जावेगी।

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त न्यास या संपत्ति के प्रति रूचि हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दोपहर 12.00 बजे नियत तिथि को इस न्यायालय में उपस्थित हों। निर्धारित समयवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता	:	बाबा सनतकुमार दास उदासीन संस्थान, सावरी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश.
2. अचल संपत्ति का विवरण	:	कृषि भूमि कुल रकबा 1.874 हे. अर्द्ध पक्की कुटिया (आश्रम) 25 X 20 वर्गफीट.
3. चल संपत्ति का विवरण	:	रुपये 11,125/- सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा खैरलांजी में जमा.

(230)

संदीप सिंह,  
अनुविभागीय अधिकारी.

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/702.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घुडावन, जिसका पंजीयन क्रमांक 426, दिनांक 08 मार्च, 1977 आदेश क्रमांक 453, दिनांक 31 अगस्त, 2019 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमति प्रेरणा जांभेकर, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण अंकेक्षण नहीं कराया जाना था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशांसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी को पुर्नजीवित करना आवश्यक प्रतीत होते हैं। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घुडावन, जिसका पंजीयन क्रमांक 426, दिनांक 08 मार्च, 1977 को पुर्नजीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्रीमति प्रेरणा जांभेकर, उप-अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ तथा संस्था के प्रशासक द्वारा जिस दिनांक से अंकेक्षण नही करवाया गया है उस तिथि से अंकेक्षण करवाया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(231)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/703.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1453, उज्जैन, दिनांक 31 अगस्त, 2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1867, दिनांक 13 अक्टूबर, 2019 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति प्रेरणा जांभेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(232)

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/704.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/271, उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत डॉ. निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(233)

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/705.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2036, उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी

संस्था मर्या., मुण्डलीदौत्र, जिसका पंजीयन क्रमांक 630, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद रावल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234)

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/706.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2036, उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसलाकला, जिसका पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद रावल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235)

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/707.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/577, उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा एम. पी. प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1638, दिनांक 19 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद रावल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(236)

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/716.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/2824, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा सिंचन सहकारी संस्था मर्या., मौलाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 220, दिनांक 06 मार्च, 1964 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(237)

उज्जैन, दिनांक 25 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/750.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1146, उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा दीनदयाल वन खेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., दौत्रु, जिसका पंजीयन क्रमांक 1666, दिनांक 23 मार्च, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(238)

उज्जैन, दिनांक 25 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/751.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/85, उज्जैन, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुन्दराबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 31 जनवरी, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(239)

उज्जैन, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/794.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/85, उज्जैन, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुमकी, जिसका पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 22 अक्टूबर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(240)

उज्जैन, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/795.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/477, उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(241)

उज्जैन, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/796.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरला, जिसका पंजीयन क्रमांक 2188, दिनांक 20 अगस्त, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(242)

उज्जैन, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/797.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा राईस सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 402, दिनांक 18 नवम्बर, 1970 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वी. डी. जडे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(243)

उज्जैन, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/798.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/477, उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार, जिसका पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 11 मई, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(244)

उज्जैन, दिनांक 30 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/799.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/85, उज्जैन, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाल्याखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1933, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(245)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/811.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/85, उज्जैन, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा महाकाल बीज उत्पादक एवं कृषि आदान सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड, जिसका पंजीयन क्रमांक 196, दिनांक 03 अगस्त, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(246)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/812.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/85, उज्जैन, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमला, जिसका पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 08 मार्च, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(247)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/815.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/85, उज्जैन, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कजलाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 08 मार्च, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(248)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/816.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/253, उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिनवानिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 764, दिनांक 25 अगस्त, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(249)



उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/817.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवली, जिसका पंजीयन क्रमांक 651, दिनांक 13 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(250)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/818.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागोदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 604, दिनांक 31 जनवरी, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(251)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/819.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/744, उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा ओम साईराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1977, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(252)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/820.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1618, उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017 द्वारा जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घडसिंगा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1951, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(253)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/821.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/862, उज्जैन, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मौलाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 2054, दिनांक 20 फरवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(254)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/578, उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलारखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 2254, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वी. जी. जडे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(255)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825, उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याबीछा, जिसका पंजीयन क्रमांक 291, दिनांक 18 फरवरी, 1969 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वी. जी. जडे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(256)

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-पंजीयक.

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा**

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/358.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1930, विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 से उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1063, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(257)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/359.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/761, विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016 से राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./718, दिनांक 21 जुलाई, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2021 को राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(258)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/360.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1904, विदिशा, दिनांक 21 फरवरी, 2017 से लक्ष्मी महिला बाल विकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ध्रुवा सेक्टर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1079, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 को लक्ष्मी महिला बाल विकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ध्रुवा सेक्टर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(259)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/361.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1931, विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 से जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1086, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 को जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(260)

विदिशा, दिनांक 26 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/390.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/763, विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016 से माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपलखेडा कलां, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./688, दिनांक 21 जून, 2004 को

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2021 को माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपलखेडा कलां, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(261)

विदिशा, दिनांक 26 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/391.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/770, विदिशा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतपाडाकलां, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./855, दिनांक 08 मार्च, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतपाडाकलां, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(262)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/409.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 जनवरी, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबर, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./442, दिनांक 27 मई, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2021 को तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबर, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(263)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/410.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/303, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बमूरिया, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./378, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2021 को तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बमूरिया, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(264)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/411.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1949, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से शीतला महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेहुलुआ सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1077, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को शीतला महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेहुलुआ सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी

का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(265)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/412.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1952, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से मारूति बहु, साख सहकारी संस्था मर्यादित पलीता, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1082, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मारूति बहु, साख सहकारी संस्था मर्यादित पलीता, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(266)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/413.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/489, विदिशा, दिनांक 11 मार्च, 1996 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूखासेमरा, तहसील व जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./471, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूखासेमरा, तहसील व जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(267)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/414.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/491, विदिशा, दिनांक 11 मार्च, 1996 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठीचारकला, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./473, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठीचारकला, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(268)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/415.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/485, विदिशा, दिनांक 11 मार्च, 1996 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनसियाई, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./489, दिनांक 05 जून, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनसियाई, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।



मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(269)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2021

क्र./परि./2021/416.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/490, विदिशा, दिनांक 11 मार्च, 1996 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेजडा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./477, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत संशोधित आदेश से श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेजडा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(270)

के.के. द्विवेदी,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2021/...—जिले में स्थित दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरांछ, पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरांछ, पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 27 अगस्त, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(271)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2021/...—जिले में स्थित वंदना महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मोहनी, पंजीयन क्रमांक 985, दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत वंदना महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मोहनी, पंजीयन क्रमांक 985, दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 का पंजीयन निरस्त करती हूँ, यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

शकुन्तला ठाकुर,  
उप-पंजीयक.

(272)

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 05 अप्रैल, 2021

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021.—मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुआखेड़ा, तहसील सीहोर पंजीयन क्र. 1521, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुआखेड़ा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुआखेड़ा को परिसमापन में लाये जाने संबंधि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुआखेड़ा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,  
उप-पंजीयक.

(273)

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 12 अप्रैल, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/608.—महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1096,

दिनांक 22 सितम्बर, 1996 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2021/439, दिनांक 12 मार्च, 2021 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 12 अप्रैल, 2021 तक को उत्तर चाहा गया, परन्तु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है, जो दर्शाता है कि संस्था के वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, सी.पी.एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-पन्द्रह दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहकारिता मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

सी.पी.एस. भदौरिया,  
उप-पंजीयक.

(274)

### कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 24 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/506—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2020/1435 रतलाम, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के द्वारा हर-हर गंगे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बंजली, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक 796, दिनांक 04 अगस्त, 2014 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एम.के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हर-हर गंगे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्यादित, बंजली, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक 796, दिनांक 04 अगस्त, 2014 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(275)

रतलाम, दिनांक 24 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/507.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2020/1436 रतलाम, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के द्वारा डॉ. अम्बेडकर लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 14 मई, 2018 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एम.के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. अम्बेडकर लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम,

जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 14 मई, 2018 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता है।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

एस.के. सिंह,  
उप-रजिस्ट्रार.

(276)

### कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 08 जनवरी, 2021

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत ]

उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला खरगौन द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	श्री अक्षिता साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1881/10-03-2014	1437/11-11-2020
2.	श्री नर्मदा वेली साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1894/10-03-2014	1442/11-11-2020
3.	नार्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1857/10-03-2014	1465/11-11-2020

सहकारी अधिनियम की धारा-71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारों से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षर को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

मनोज शेल्वे,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(277)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021-वैशाख-3, शके 1943

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक